

न्यायालय अनुमोदन दस्ताधिकारी, खैरीमुहूआ (गिरिडीह)

वाफ सं० 33/2017
तुलसी साव - बनाम - मुमताज मिर्चा वगैरह
द्वारा 144 के प्र० सं०

आदेश फलक

16.6.17

अभिलेख उपस्थापित | प्रथमतः विवाहित
भूमि जावाँ चाना अन्तर्गत मौजा - भंभने (1) खाता-
नं० 220 प्लॉट नं० 841 रकबा 08 डी० के मध्ये 04
डी० चौहदी :- (उ० - बसीर मिर्चा, द० - सड़क, पु० -
सफीक मिर्चा, प० - हबीब खान | (2) खाता नं० 28
प्लॉट नं० 843 रकबा 06 डी० चौहदी :- (उ० - सफीक
मिर्चा, द० - सड़क, पु० - फौजदारी खाँ, प० - जहीर खान की
जमीन |

प्रथमतः भूमि के संबंध में उभय पक्षों की
आर से कारण-पृच्छा दारिजल किया गया है | जिसमें
दोनों पक्षों का कथन लिखित बहस में आंकित है |

प्रथम पक्ष का कहना है - कि कार्यवाही के
अधीन प्रथमतः भूमि को प्रथम पक्ष अपने नाम
एवं पत्नी सरिता देवी के नाम से वजरीये निबंधित
केवाला से हासिल किया है | जिसके संदर्भ में निबंधित
केवाला की दस्ता प्रतियाँ दारिजल किया गया |

द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त भूमि
द्वितीय पक्ष के द्वारा खरीदारी से हासिल किया
गया है | उक्त संदर्भ में उनके द्वारा कोई दस्तावेज
प्रस्तुत नहीं किया गया |

अभिलेख को अवलोकित किया | दोनों पक्ष
भूमि को लेकर दरजल के संबंध में कोई
स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके |

मात्रल स्वत्व का प्रतीत होता है
इसके लिए पक्षकार स्वत्व हेतु माननीय
दस्ता न्यायालय जा सकते हैं |

लगायी गयी निधि धारा की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापति

अनु० दफ्ता०,

अनुपाडल दफ्ताधिकारी
शेरीमहुआ।